

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मुलाबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है
तथा चक्र 10 MOD प.न. 57/27। म.न. 30
कि.न. 15 में 11x16 फीट व कि.न. 16, 25/1
में 11x11 फीट का रास्ता स्वीकृत किया
जाता है। तदनुसार हनुमानगढ़ को
वास्ते अमलकरामकरी आदेश प्रेषित किया
जाता है और निर्देशित किया जाता है
कि RTA 251(2) के तहत उक्त मंजूरशुद्ध
रास्ते का ब्लॉक ज. म. (सिवाय चक्र) के
रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे
पशावली फंसल शुमा कर का लिख
दफतर ची जाती है आदेश आ. 12/6/24
को वरिष्ठ इजलास सुनाया गया।

@Dunyo

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

12/6/24

प्राचीने प्रार्थना पत्र द्वारा 25/1/1971 में न्यायालय में पेश कट निर्देश किया प्राचीने अप्रार्थी की (वाले) सुमि चक 10 MOD प. न. 57/271 (30) कि. न. 16 व 25/1 प्रत्येक में से 11-11 फिट तथा कि. न. 15 में से 11 फीट का 16 फीट तक रास्ता स्वीकृत कवना चाहता है।

उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते डिनांक 14/8/23 को प्राचीने सं. 1, 2 व अप्रार्थी सं. 1, 2 इस न्यायालय में अपस्थित होते हैं व इस आशय का राजीनामा पेश करते हैं कि प्रार्थना पत्र समयपत्र को स्वीकार है तथा मुताबिक अनुरोध प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की पक 10 MOD प. न. 57/271 मु. न. 30 कि. न. 15 में 11x16 फीट व किला 16, 25/1 में 11x11 फीट रास्ता स्वीकृत कर रास्ता स्व. सिग्नल में अंकन कराया जावे।

पत्रावली व राजीनामा का अपलोकेन किया राजीनामा में रास्ता के बदले राशि का आकार प्रदान हो चुका है इतलिये प्रा. पत्र - लगाता -